

बिहार सरकार
मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग

आदेश 1725

श्रीमती डिम्पल गुप्ता, सहायक अवर निरीक्षक मद्यनिषेध के कैमूर, भभुआ पदस्थापन अवधि में मद्यनिषेध थाना कांड सं०-877/2024 दिनांक 16.11.2024 के अभियुक्त मनीष कुमार एवं रौशन कुमार के विरुद्ध माननीय न्यायालय, कैमूर में ससमय आरोप पत्र समर्पित नहीं किये जाने के मामले में जिला पदाधिकारी, कैमूर, भभुआ द्वारा आरोप पत्र गठित करने की अनुशंसा की गई।

2. मामला है कि श्रीमती गुप्ता द्वारा मद्यनिषेध थाना कांड सं०-877/2024 दिनांक 16.11.2024 के अभियुक्त के विरुद्ध माननीय न्यायालय में ससमय आरोप पत्र समर्पित नहीं करने के कारण अभियुक्त को धारा-167 (2) दं०प्र०सं०/187(3) भा०नु०सु०सं० का लाभ प्रदान करते हुए जमानत का लाभ प्रदान कर दिया गया।

3. मामले की गंभीरता को देखते हुए अनुशासनिक प्राधिकार के आदेश से श्रीमती गुप्ता के विरुद्ध आरोप पत्र गठित की गई। गठित आरोप पत्र के आलोक में विभागीय पत्रांक-851 दिनांक 24.02.2025 द्वारा बचाव बयान की मांग की गई। श्रीमती गुप्ता द्वारा समर्पित बचाव बयान में कहा गया कि ज्ञापांक 3149 दिनांक 11.12.2024 द्वारा श्री पवन कुमार राय का संपूर्ण प्रभाव उन्हें सौंपने का आदेश दिया गया। श्री राय द्वारा दिनांक 15.12.2024 को प्रभार दिया गया। उस समय तक वाहन मालिक के सत्यापन हेतु डी०टी०ओ० में आवेदन एवं शराब रसायन जाँच के लिए नमूना भेजा गया था। परंतु दैनिकी नहीं लिखी गई थी। मेरे प्रभार ग्रहण करने से मात्र 50 दिन ही शेष बचा हुआ था।

अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा बचाव बयान की समीक्षा की गई। पाया गया कि श्रीमती गुप्ता को शेष कार्य सम्पादित कर आरोप पत्र समर्पित करने हेतु 50 दिन का पर्याप्त समय था किंतु श्रीमती गुप्ता द्वारा पर्याप्त समय रहने के बावजूद आरोप पत्र समर्पित नहीं किया गया। अतएव इनका बचाव बयान स्वीकार योग्य नहीं पाया गया।

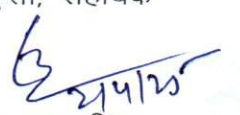
अतः समुचित विचारोपरांत अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्रीमती डिम्पल गुप्ता, सहायक अवर निरीक्षक मद्यनिषेध, कैमूर के विरुद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14(i) के तहत निंदन का दंड अधिरोपित किया गया है।

4. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-
(संजय कुमार)
सरकार के उप सचिव,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक- 8/अरा० उत्पाद आरोप-11/2025 1725 दिनांक-.....03.04.25

प्रतिलिपि-संयुक्त आयुक्त मद्यनिषेध, बिहार, पटना/सभी उपायुक्त मद्यनिषेध/सभी सहायक आयुक्त मद्यनिषेध/सभी अधीक्षक मद्यनिषेध/प्रशाखा पदाधिकारी-7/श्रीमती डिम्पल गुप्ता, सहायक अवर निरीक्षक मद्यनिषेध, कैमूर, भभुआ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के उप सचिव,
बिहार, पटना।